बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 10/2014–15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम –	:– जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, खगड़िया के राजस्व प्राप्ति से संबंधित अंकेक्षण।
(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधिः–	वर्ष 97–98 से 12–13 तक
(ग) प्रशासी विभाग का नामः–	गृह (आरक्षी) विभाग
(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–	पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर। विवरण अप्राप्त।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों का नाम एवं कार्यकाल :–

(1) श्री कुमुद कुमार वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 1.4.97 से 2.4.98 तक।

(2) श्री मो0 शाहरूख मजीद, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 23.4.98 से 28.4.98 तक।

(3) मो0 साहब अख्तर, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 29.7.98 से 19.11.99 तक

(4) श्री शैलेश कुमार सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक, दि0 – 20.11.99 से 06.06.2000 तक

(5) श्री अमित कुमार जैन, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 8.06.2000 से 2.06.2002 तक

(6) श्री अजीत जोय, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक – 20.08.2002 से 29.2.2004 तक

(7) श्री ध्रव नारायण गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक, दि0 – 1.3.2004 से 1.4.2004 तक

(8) श्रीमती के एस अनुपम, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 3.4.2004 से 5.6.04 तक

(9) श्री ध्रुव नारायण गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक, दि0 – 6.6.04 से 13.12.04 तक

(10) श्रीमती के एस अनुपम, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 15.12..2004 से 16.08.06 तक

(11) श्रीमति प्रीता वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक, दि0 – 18.8.06 से 12.04.07 तक

(12) श्री विनीत विद्यायक, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 17.04.2007 से 31.3.08 तक

(13) श्री डॉ0 कमल किशोर सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक, दि0 – 03.04.2008 से 29.7.09 तक

(14) श्री इन्द्रानंद मिश्रा, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 30.7.2009 से 04.10.09 तक

(15) श्रीमती अनुसूया रज सिंह साहू, जिला पुलिस अधीक्षक, दि0 – 5.10.09 से 19.4.10 तक

(16) श्री सुधांशु कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 20.4.2010 से 12.02.11 तक

(17) श्री मिठू प्रसाद, जिला पुलिस अधीक्षक, दि0 – 13.2.11 से 27.3.13 तक

(18) श्री शिव कुमार झा, जिला पुलिस अधीक्षक, दिनांक– 28.3.2013 से 31.3.13 तक

अंकेक्षित अवधि के कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

प्रधान लिपिक :–

1. श्री चन्देश्वर प्रसाद शर्मा, प्र0 लि0, दि0 – 1.4.97 से 28.2.2000 तक

2. श्री वेदानन्द झा, प्र0 लि0, दि0 – 1.3.2000 से 30.9.2000 तक

3. श्री चन्देश्वर प्रसाद शर्मा, प्र0 लि0, दि0 – 1.10.2000 से 31.8.2001 तक

4. श्री रामचन्द्र राव, प्र0 लि0, दि0 – 1.9.01 से 31.8.2002 तक

5. श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्र0 लि0, दि0 – 1.9.02 से 31.08.04 तक

6. रामचन्द्र राव, प्र0 लि0, दि0 – 01.09.04 से 31.3.11 तक

7. श्री सुभाष कुमार गुप्ता, प्र0 लि0, दि0 – 1.4.11 से 30.9.12

8. श्री गणेश कुमार, प्र0 लि0, दि0 – 1.10.12 से 31.3.13 तक

लेखापाल :–

1. श्री वेदानन्द झा, लेखापाल, दि0 – 1.4.97 से 31.12.2000 तक

2. श्री रामचन्द्र राव, लेखापाल, दि0 – 1.1.01 से 31.8.2001 तक

3. श्री सुभाष कुमार गुप्ता, लेखापाल, दि0 – 1.9.01 से 31.8.2002 तक

4. श्री रामचन्द्र राव, लेखापाल, दि0 – 01.09.02 से 31.8.04 तक

5. श्री सुभाष कुमार गुप्ता, लेखापाल, दि0 – 1.9.04 से 30.9.12 तक

6. श्री गणेश कुमार, लेखापाल, दि0 – 1.10.12 से 31.3.13 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी (i) श्री दीपक बरनवाल, जिला पुलिस अधीक्षक

/ कर्मचारी का नाम / पदनाम एवं खगड़िया।

कार्यकालः–

(ii) श्री, सुधीर कुमार सिंह, प्रधान लिपिक, खगड़िया।

(iii) श्री गणेश कुमार, लेखापाल, खगड़िया ।

(iv) श्री मिथिलेश्वर कूवंर, पदचर, खगड़िया।

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :– (1) श्री आलोक कुमार गुप्ता, व0अं0–2

(2) श्री अरूण कुमार, व0अं0–2

(3) श्री भोलानाथ मंडल, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :– दिनांक– 18.2.14, पुर्न0 प्रा0 तिथि–12.08.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :– दिनांक – 14.03.14, पुर्न0 स0 तिथि–4.12.14

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :– 30 कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :– अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(i) अंकेक्षण के प्रकार :– सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग, का आदेश सं0 एवं तिथि :– विभागीय ज्ञापांक –3286 दिनांक 15.9.60,

एवं 06 दि0 – 22.01.2014 एवं ज्ञापांक – 61 दिनांक– 1.7.2014

(iii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र –

जिला पुलिस अधीक्षक खगड़िया कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अपराध पर नियंत्रण रखना अपराधियों को पकड़ना जन शिकायत की समस्या को सुलझाना नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना बैंकों के रोकड़ हस्तांतरण / संचालन हेतू मांग पर शसस्त्र गार्ड उपलब्ध करना, विभिन्न प्रतिष्ठानों में / दखल दहानी / बाद नीलामी एवं अन्य मामलों में मांग पर शस्त्र गार्ड उपलब्ध कराना माननीय एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मांग पर अंगरक्षक प्रतिनियुक्त करना इत्यादि कार्य आते है।

(4) अंकेक्षण का क्षेत्र –

पुलिस महानिरीक्षक (मु0) पटना के पत्रांक–4897 दिनांक–25.10.13 द्वारा अभियाचना के आलोक में वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक– 06 दिनांक–22.01.2014 एवं 61 दिनांक– 01.07. 2014 में निहित निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, खगड़िया के विभिन्न मदों में राजस्व प्राप्तियों एवं जमा (कोषागार में) की जाँच का सत्यापन संबंधित रोकड़ पुस्त, रसीद वही में कोषागार जमा पंजी (रेमिटेन्श) से वर्ष 1997–98 से 2012– 13 तक का किया गया। प्राप्त राजस्व राशियों से संबंधित अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति , विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड / दखल दहानी / वाद / नीलामी एवं लोक सेवाओं का अधिकार से प्राप्त राशि अन्य संचिकाओं की जाँच की गई। जाँच एवं सत्यापन कार्य सिर्फ राजस्व प्राप्ति की जाँच तक ही सीमित रहा।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

अंकेक्षित अवधि वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक में विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व राशियों से संबंधित वर्षवार आय एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है। वर्षवार विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है। कि विभिन्न मदों से प्राप्त राशियों को उक्त वित्तीय वर्ष में कोषागार में जमा कर दिया गया था जिसका सत्यापन कोषागार अभिलेखों से वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक शत् प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। विवरणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछेक वित्तीय वर्षो में कम राजस्व की प्राप्ति पाई गई जो अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति के विरूद्ध राशि जमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप हुई।

वर्षवार आय एवं व्यय विवरणी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई है। उक्त विवरणी में अंकित प्राप्त राजस्व राशियों के विरूद्ध बल प्रतिनियुक्ति से अधिक बल प्रतिनियुक्ति अंकेक्षण अवधि में की गयी हो वो प्राप्त राजस्व राशियों की गणना की राशि वसूली हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वित्तीय स्त्रोत :-

विभिन्न मदों (अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड / दखल दहानी / वाद / नीलामी एवं अन्य मामलें उपस्कर नीलामी एवं लोक सेवाओं का अधिकार अभिलेख से सत्यान स्थिति :-

कोषागार सत्यापन वर्ष - 1997-98 से 2012-13 तक कार्यालय जमा पंजी (रेमिटेन्स) से कोषागार जमा पंजी का सत्यापन कार्य शत् प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

भाग – 2

4. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति की बकाया राशि रू0 6468091 वसूली योग्य :–

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, खगड़िया के रक्षित कार्यालय शाखा पुलिस लाईन से उपलब्ध अभिलेखों यथा जिला सुरक्षा समिति के अभिलेख अंगरक्षक प्रतिनियुक्त बल पंजी कार्यालय दिवा पंजी एवं कमान पंजी इत्यादि के जाँच एवं सत्यापन क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री ललन कुमार तत्कालीन उपाध्यक्ष पंचायती राज विभाग सह पूर्व अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस पिता – श्री कमलेश्वरी यादव, ग्राम– सलारपुर, थाना– परवत्ता, जिला – खगड़िया बिहार, हाल / मो0 – हीरालाल लेन, छज्जुबाग, पटना को अंगरक्षक प्रतिनियुक्त बल पंजी कार्यालय दिवा पंजी एवं जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की आहूत बैठक दि0 19.2.03 आरक्षी अधीक्षक सुरक्षा विशेष शाखा पटना का ज्ञाप सं0 – 3661 दि0 13.1.03 के आलोक में दिनांक– 1.1.01 से 28.2.02 एवं 1.04.02 से 15.4.05 तक (दो आरक्षी एवं 1/4 सशस्त्र आवास गार्ड, दिनांक – 2.1.06 से 30.4.06 तक एवं दि0 – 2.10.10 से 12.10.10 तक (एक आरक्षी), दिनांक – 12.10.10 से 31.10.10 तक (एक हवलदार) दि0 27.1.12 से 31.3.12 तक) (1/4 सशस्त्र आवास गार्ड) एवं दि0 1.4.12 से दि0 31.3.13 तक (एक हवलदार एवं 1/4 सशस्त्र आवास गार्ड) उनके साथ उनके आवास पर भुगतान के आधार पर प्रतिनियुक्ति किया गया था। जिसका अंगरक्षकों पर बकाया प्रतिनियुक्ति शुल्क रू0 6468091.00 अंकेक्षक अवधि तक उनके पास बकाया था। विवरणी उपलब्ध अभिलेखों तथा निर्गत आपत्ति के प्राप्त अनुपालन आधार पर तैयार की गई है। जो परिशिष्ट "ग" पर अंकित है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में तिथिवार लिखित जबाब मे यह बताया गया कि कौन – कौन से आरक्षी एवं हवलदार एवं 1/4 सशस्त्र बल (आवास गार्ड) उनके साथ तथा उनके आवास पर प्रतिनियुक्ति पर थे। निर्गत आपत्ति के अनुपालन नोट में यह लिखित जबाब दिया गया कि खगड़िया जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में दि0 10.9.02 को श्री ललन कुमार के साथ 1/4 सशस्त्र बल आवास गार्ड एवं 2 अंगरक्षक को वापस लौटाये जाने का आदेश दिया गया था। खगड़िया पिलादेश सं0 343/05 तदनुसार ज्ञापांक – 514 / र0 कार्यालय दिनांक – 16.04.05 द्वारा श्री ललन कुमार (उपाध्यक्ष) सह प्रदेश प्रतिनिधि पंचायती राज के साथ पूर्व से प्रतिनियुक्त हवलदार / सिपाही – 1 DPC 74 रिंकु कुमार, – 2 सि0 162 लक्ष्मण सिंह, दोनो अंगरक्षक – 3 हवलदार शत्रुधन सिंह, सि0 154 चन्देश्वर तांती, सि0 – 155 शिवनाथ दास सि0 – 60 वसंत कुमार साह, सि0 295 सत्येन्द्र सिंह सभी आवास गार्ड को वापस होने हेतू अनेकों स्मार पत्र देने के बाबजूद पुलिस केन्द्र खगिड़या में योगदान नहीं देने की स्थिति में दि0 15.4.05 से सभी को निलंबित किया गया जो उनके साथ लगातार प्रतिनियुक्ति को स्पष्टतः दर्शाया है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में यह भी बताया गया कि अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति शुल्क जमा नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध नीलाम बाद जिला नीलाम पदाधिकारी के न्यायलय में चल रहा है।

उच्चाधिकारियों का ध्यान इस विन्दू की ओर विशेषरूप से आकृष्ट किया जाता है कि राजस्व क्षति रू0 6468091.00 की वसूली के पश्चात तथा माननीय न्यायालय के न्यायादेश प्राप्त होते ही प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत करायी जाय।

भाग – 3 (सुक्षावात्मक)

5. अंकेक्षण के दृष्टांत पर रू0 95018.50 को रोकड़ पुस्त के आय व्यय पक्ष में प्रविष्टि यिका गया कोषागार में जमा किये जाने का सुझाव :–

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, खगड़िया के रोकड़ पुस्त, रसीद बही एवं कार्यालय जमा पंजी के मिलान सत्यापन क्रम में रसीद वही एवं 0469319 दि0 – 15.9.11 के द्वारा रू0 5812.00 शाखा प्रबन्धक यूको बैंक खगड़िया से 1/4 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्ति के एवज में प्राप्त हुआ था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ पुस्त में नहीं की गई थी। साथ ही भवन निर्माण हेतू सरकारी जमीन से हुई प्राप्त आय की राशि 89206.50 कोषागार जमा पंजी में दि0 28.02.01 को टी0 भी0 न0– 120 पर जमा दर्ज हैं परन्तु यह राशि कार्यालय जमा पंजी में या रसीद वही मे कही दर्ज नहीं पाई गई न तो रोकड़ पुस्त मे अंकित की गयी।

निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में दि0 21.2.14 एवं दि0 26.11.14 को क्रमशः रू0 5812.00 + 89206.50 = 95018.50 को रोकड़ पुस्त के आय व्यय पक्ष में प्रविष्टि कर दी गई है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।

उपर्युक्त संदर्भ में वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 86 के अनुसार लेखा संधरण में रोकड़ पुस्त के दैनिक प्रविष्टि को अनिवार्यतः लिखा जाना है। साथ ही वित्त विभाग के ज्ञापांक 1946 दि0 14.2.79 में निहित निदेशानुसार प्रत्येक माह की 15वीं एवं 30 वीं0 तारीख को संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कर निकासी एवं व्ययन पदा0 को प्रमाण अंकित करना है। उक्त नियम का पालन दृढता से किये जाने का सुझाव दिया जाना है।

6. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति शुल्क रू0 65895.00 बकाया राशि नीलाम बाद के कारण प्राप्त परन्तु कोषागार में जमा नहीं जमा किये जाने का सुझाव :–

श्री राजेश कुमार सिंह, ठीकेदार प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्राम – कमश्या, पो0 – रिफान्ईरी टाउनशीप बेगूसराय बिहार के दिनांक– 11.12.05 से 04.05.06 तक एक आरक्षी प्रतिनियुक्ति था, जिसका प्रतिनियुक्ति शुल्क रू0 52095.00 था।

तथा श्री प्रभु दयाल यादव पूर्व अध्यक्ष बिहार पुलिस मेंस एशोसियसन अध्यक्ष शाखा – खगड़िया, ग्राम– लाल दरवाजा, पो0 – मुंगेर को दि0 16.3.05 से दि0 30.4.06 तक अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर था, जिसका प्रतिनियुक्ति शूल्क रू0 13800.00 था विवरणी परिशिष्ट "घ" पर संलग्न।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन मे बताया गया कि श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा राशि रू0 52095.00 तथा श्री प्रभुदयाल यादव द्वारा राशि रू0 13800.00 कुल राशि रू0 52095.00 + 13800.00 = 65895.00 इनके द्वारा जमा कर दी गई है। जमा राशि का सत्यापन कर लिया गया है। दि0 20.9.13 एवं 22.10.13 को रोकड़ पुस्त में प्रविष्टि कर दी गई है। कोषागार में जमा करने का सुझाव दिया जाता है।

7. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति शुल्क रू0 467820.00 का पदेन विघान सभा सदस्य तथा जिला परिषद अध्यक्ष रहने के कारण वसूली नहीं प्रशासी विभाग द्वारा समीक्षा का सुझाव :–

श्री विद्यासागर निषाद, भूतपूर्व विद्यायक, ग्राम – उसरी, पो0 – गोगरी, जिला – खगड़िया को दि0 – 1.4.02 के पूर्व से दिनांक– 10.09.03 तक एक आरक्षी दि0 13.11.04 से 30.4.06 तक एक आरक्षी प्रतिनियुक्त था। जिसका प्रतिनियुक्ति शुल्क रू0 125925.00 था।

श्रीमती मीरा यादव पूर्व विद्यायक, जिला परिषद खगड़िया को दि0 – 18.03.05 से 21.04.06 तक अंगरक्षक प्रतिनियुक्त था, जिसका प्रतिनियुक्ति शुल्क रू0 13800.00 बकाया था।

श्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व विद्यायक, अलौली को दि0 – 22.9.03 से 30.4.06 तक (एक सिपाही) जिसका प्रतिनियुक्ति शुल्क रू0 328095.00 बकाया था। विवरणी परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन मे बताया गया कि विघान सभा सदस्य रहने तथा जिला परिषद अध्यक्ष रहने के कारण इन्हे पदेन निःशुल्क अंगरक्षक प्रदान किया गया था। तथा दायर नीलाम वाद वापस ले लिया गया है।

अतः राशि रू0 125925+13800+328095.00 = 467820.00 राजस्व राशि की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट यिका जाता है। कि उन्हें निःशुल्क अंगरक्षक सरकारी नियमों के आलोक में देय है अथवा नहीं की समीक्षा की जाये तथा वस्तु स्थिति से से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत करायी जाय। विपरीत परिस्थिति में राजस्व क्षति मानते हुए राशि रू0 467820.00 वसूली योग होगा।

8. अंकेक्षण का सुझाव :–

बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 306 (ए) तथा बिहार वोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 80 ए के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को प्रतिवर्ष प्रेषित करना अपेक्षित है

कि लेखा एवं अन्य कार्य नियमानुकूल ढंग से हो रहा है अथवा नहीं इसका सर्वथा अभाव पाया गया जिसके कारण लेखा संधारण में त्रुटि पाई गई। कंडिका – 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है।

अतः सक्षम पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सरकारी राशि खजाने में ससमय जमा की जा सके। नियमानुकूल लेखा संधारण हेतू समय–समय पर जिला आरक्षी अधीक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन भी अपेक्षित है।

जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, खगड़िया में लेखा संधारण में विभिन्न शाखा मे सामंजस्य नहीं था। रक्षित कार्यालय पुलिस लाईन द्वारा उपस्थापित जिला सुरक्षा समिति एवं अन्य अभिलेखों के अवलोकन क्रम में अंकेक्षण द्वारा जानकारी लेने के उदेश्य सम्पर्क किये जाने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा अनभिज्ञता प्रकट की गई तथा समय पर उनके उपलब्ध नहीं रहने के कारण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही कार्य किया गया।

लेखा संधारण में सांमस्य के अभाव में त्रुटि होती है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि विभिन्न शाखा द्वारा लेखा संधारण में तालमेल बनाया जाय साथ ही राजस्व प्राप्ति से संबंधित अलग से रोकड़ पुस्त संधारण का भी सुझाव दिया जाता है।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग,
बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0अं0–2

परिशिष्ट " क "

(कंडिका 1 "ट" से संबंधित)

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेखों –

1 रोकड़ पुस्त – वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक
2 रसीद वही – वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक
3 कार्यालय जमा पंजी – वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक
4 जिला सुरक्षा समिति की बैठक की संचिका – वर्ष 2002–03 से 2012–13 तक
5 पुलिस प्रतिनियुक्त बल पंजी – वर्ष 1999–2000 से 2006–07 तक
– वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक
6 कमान पंजी दिनांक– 18.9.01 से 18.7.01 तक
दि0 – 6.01.04 से 26.10.04 तक
दिनांक– 9.3.05 से 26.12.05 तक
दि0 – 26.1.06 से 8.1.07 तक
दि0 – 22.12.07 से 27.12.08 तक
दि0 – 9.10.09 से 4.2.11 तक
दि0 – 16.06.11 से 14.7.11 तक
दि0 – 15.9.11 से 01.06.12 तक

7 कार्यालय दिवा पंजी – वर्ष 1999 – 2000 से 06–07 तक
वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक

(ख) अंकेक्षण में अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :–

अप्रस्तुत अभिलेखों –

1 जिला सुरक्षा समिति की बैठक की संचिका – वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक

2 पुलिस प्रतिनियुक्ति बल पंजी – वर्ष 1997–98 से 98–99 तक
एवं 07–08

3 कमान पंजी दिनांक– 1.4.97 से 17.6.01 तक
दि0 – 19.7.01 से 5.01.04 तक
दिनांक– 27.10.04 से 8.3.05 तक
दि0 – 27.12.05 से 25.1.06 तक
दि0 – 9.1.07 से 22.12.09 तक
दि0 – 28.12.08 से 8.10.09 तक
दि0 – 5.02.11 से 15.6.11 तक
दि0 – 15.7.11 से 14.9.11 तक
दि0 – 2.6.12 से 31.3.13 तक

4 बैंकों में प्रतिनियुक्त / एवं अन्य प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मी की संचिका – वर्ष 1997 – 98 से 12–13 तक
वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक

5 माननीय विधान सभा सदस्य / जिला परिषद अध्यक्ष से संबंधित संचिका जिसमें उन्हें पदेन रहने के कारण अंगरक्षक निः शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

6 कार्यालय दिवा पंजी – वर्ष – 97–98 एवं 98–99
वर्ष – 07 – 08

परिशिष्ट ''ख''

कंडिका 2 (5) से संबंधित

राजस्व प्राप्ति योग्य राशि जमा राशि एवं बकाया राशि की विवरणी / लेखा वर्ष – 1997–98 से 2012–13 तक

वर्ष	मद		बकाया राशि	वर्ष में वसूली योग्य राशि	कुल राशि	जमा राशि	बकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2		3	4	5	6	7	8
1997-98	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अभिलेख अप्राप्त
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	4512.00	4512.00	4512.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1998-99	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अभिलेख अप्राप्त
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	4433.00	4433.00	4433.00	0.00	0.00

	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	3600.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1999-2000	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अभिलेख अप्राप्त
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	9920.15	9920.15	9920.15	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	9071.00	9071.00	9071.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 - 01	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	0.00	100503.00	100503.00	2223.00	98280.00	अभिलेख अप्राप्त
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	6732.00	6732.00	6732.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	2706.00	2706.00	2706.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	भवन निर्माण हेतू सरकारी जमीन से प्राप्त आय	0.00	89206.50	89206.50	89206.50	0.00	0.00
2001 - 02	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	98280.00	385032.00	483312.00	20304.00	463008.00	अभिलेख अप्राप्त
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	17296.00	17296.00	17296.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	8848.00	8848.00	8848.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	पुलिस लाईन की खेती वारी से आय	0.00	321000.00	321000.00	321000.00	0.00	0.00
2002 - 03	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	463008.00	840242.00	1303250.00	19357.00	1283893.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	8,272.00	8,272.00	8,272.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	0.00	0.00

	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	6650.00	6650.00	6650.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003 - 04	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	1283893.00	820885.00	2104778.00	0.00	2104778.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	13727.00	13727.00	13727.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	7128.00	7128.00	7128.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	281452.50	281452.50	281452.50	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004 - 05	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2104778.00	828535.00	2933313.00	7650.00	2925663.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	44870.00	44870.00	44870.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	6172.00	6172.00	6172.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2005 - 06	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2925663.00	112215.00	3037878.00	55785.00	2982093.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	18631.00	18631.00	18631.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	14603.00	14603.00	14603.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006 - 07	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2982093.00	7650.00	2989743.00	0.00	2989743.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	43588.00	43588.00	43588.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	27173.00	27173.00	27173.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007 - 08	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2989743.00	13330.00	3003073.00	13330.00	2989743.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	62939.00	62939.00	62939.00	0.00	0.00

	3	दखल दहानी	0.00	7782.00	7782.00	7782.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008 - 09	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2989743.00	0.00	2989743.00	0.00	2989743.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	39074.00	39074.00	39074.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	27581.00	27581.00	27581.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	1780.00	1780.00	1780.00	0.00	0.00
2009 - 10	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2989743.00	21045.00	3010788.00	21045.00	2989743.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	99988.00	99988.00	99988.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	17032.00	17032.00	17032.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	187800.00	187800.00	187800.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2010 - 11	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2989743.00	60280.00	3050023.00	52095.00	2997928.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	139664.00	139664.00	139664.00	0.00	0.00

	3	दखल दहानी	0.00	4938.00	4938.00	4938.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00
2011 - 12	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	2997928.00	739463.00	3737391.00	56580.00	3680811.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	314696.00	314696.00	314696.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	30202.00	30202.00	30202.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	10498.00	10498.00	10498.00	0.00	0.00
2012 - 13	1	अंरक्षक प्रतिनियुक्ति	3680811.00	2390005.00	6070816.00	4365.00	6066451.00	
	2	विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड	0.00	210650.00	210650.00	210650.00	0.00	0.00
	3	दखल दहानी	0.00	17464.00	17464.00	17464.00	0.00	0.00
	4	निलामी वाद एवं अन्य मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	लोक सेवाओं का अधिकार	0.00	81640.00	81640.00	81640.00	0.00	0.00

परिशिष्ट "ग"

कंडिका 4 से संबंधित

बकाया अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति से संबंधित विवरणी 6468091.00

क्र० सं०	उन व्यक्तियों के नाम जहाँ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति थे	अवधि	कुल दिन			दर प्रतिदिन	वसूली योग्य कुल राशि	अभ्युक्ति
1	श्री ललन कुमार उपाध्यक्ष पंचायती राज विभाग सह पूर्व अध्यक्ष बिहार, प्रदेश युवा कांग्रेस, हीरालाल लेन छज्जुबाग, पटना। जिला–खगड़ियां।	1.1.01 से 31.3.01 तक (दो आरक्षी)	90	2	180	156	28080	सिपाही 355, अजय कुमार, दि0 – 22.6.01 / 23.4.03 आरक्षी 259
		1.1.01 से 31.3.01 तक (1/4 हाउस गार्ड)	90	1	90	780	70200	सत्यानन्द सिंह, दि0 – 22.10.01 / 10.06.03 आरक्षी 189
		01.04.01 से 28.02.02 तक (दो आरक्षी)	334	2	668	156	104208	मो0 फैयाज खाँ, दि0 – 12.09.03 / 22.9.03 आरक्षी 74
	अभ्युक्ति नोट – खगड़िया जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में दि0 10.09.02 को श्री ललन कुमार के	1.04.01 से 28.02.02 तक (1/4 हाउस गार्ड)	334	1	334	780	260520	रिंकु कुमार, दि0 – 07.01.04 / 27.4.05 आरक्षी 162

	साथ 1/4 सशस्त्र बल आवास गार्ड एवं 2 अंगरक्षक की वापस लौटाये जाने का आदेश दिया गया था खगड़िया जिलादेश सं0– 343/05 तदनुसार ज्ञापांक 514/रा0 कार्या0 दि0 16.4.05 द्वारा श्री ललन कुमार (उपाध्यक्ष) सह प्रदेश प्रतिनिधि पंचायती राज के साथ पूर्व से प्रतिनियुक्ति हवलदार / सिपाही 1 डी0 पी0 सी0 74 रिंकु कुमार / 2. सि0 162 लक्ष्मण सिंह दोनो अंगरक्षक/ 3. हवलदार शत्रुधन सिंह, सि0 154/ चन्देश्वर तांती, सि0 – 155 शिवनाथ दास, सि0 60 वसंत कुमार साह / सि0 – 295 सत्येन्द्र सिंह सभी हाउस गार्ड को वापस होने हेतू अनेको स्मार पत्र देने के बाबजूद पु0 के खगड़िया में योगदान नहीं देने की स्थिति में दि0 15.4.05 से सभी को निलंबित किया गया जो उनके साथ लगातार प्रतिनियुक्ति को स्पष्टतः दर्शाता है निर्गत आपत्ति अनुपालन में जबाब एवं प्रतिनियुक्ति बल पंजी के आधार पर विवरणी तैयार की गई है।	1.04.02 से 31.03. 03 तक (दो आरक्षी)	365	2	730	345	251850	लक्ष्मण सिंह, दि0 – 2.01.06 / आरक्षी 381
		1.04.02 से 31.03. 03 तक (दो आरक्षी)	365	1	365	1739	634735	नागेन्द्र राम, दि0 – 2.10.10 / 12.10. 10 / हव0 खहेरू पासवान
		1.04.03 से 31.03. 04 तक (दो आरक्षी)	365	2	730	345	251850	दि0 – 12.10.12 / आरक्षी 81 रणजीत कुमार
		1.04.03 से 31.03. 04 तक (1 /4 हाउस गार्ड)	365	1	365	1739	634735	दि0 – 17.10.12 / आरक्षी 414 कैलाश कुमार
		1.04.04 से 31.03. 05 तक (दो आरक्षी)	365	2	730	345	251850	आरक्षी 156 महेश प्रसाद यादव, दि0– 27.01.12
		1.04.04 से 31.03. 05 तक (1 /4 हाउस गार्ड)	365	1	365	1739	634735	आरक्षी 360 पंकज कुमार, दि0 1.1.13 / 16.6.13
		1.04.05 से 15.04. 05 तक (दो आरक्षी)	15	2	30	345	10350	आरक्षी 98 वीरेन्द्र कुमार, दि0 1.1.13 / 16.6.13

		1.04.05 से 15.04. 05 तक (1 / 4 हाउस गार्ड)	15	1	15	1739	26085	उपरोक्त सभी आरक्षी एवं हवलदार निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जबाब दिया गया।
		2.1.06 से 31.3.06 तक (एक आरक्षी)	89	1	89	345	30705	
		1.4.06 से 30.4.06 तक (एक आरक्षी)	30	1	30	345	10350	
		2.10.10 से 12.10. 10 तक (एक आरक्षी)	11	1	11	345	3795	
		12.10.10 से 31.3. 12 तक (एक हवलदार)	20	1	20	359	7180	
		1.4.11 से 31.3.12 तक (एक हवलदार)	365	1	365	1137	415005	
		27.1.12 से 31.3.12 तक (1/4 हाउस गार्ड)	64	1	64	5657	362048	

		1.4.12 से 31.3.13 तक (एक हवलदार)	365	1	365	1137	415005	
		1.4.12 से 31.3.12 तक (1/4 हाउस गार्ड)	365	1	365	5657	2064805	
							6468091	

परिशिष्ट ''घ''						
कंडिका 6 से संबंधित						
अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति से संबंधित विवरणी 65895.00						
क्र० सं०	उन व्यक्तियों के नाम जहाँ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति थे	अवधि	कुल दिन	दर प्रतिदिन	वसूली योग्य कुल राशि	अभ्युक्ति
	श्री राजेश कुमार सिंह, ठीकेदार प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना पिता–स्व0 भोला प्र0 सिंह, वीणा आवास, ग्राम – कमश्या, पो0 रिफान्ईरी, टाउनशीप बेगूसराय, बिहार।	11.12.05 से 04.05. 06 तक (एक आरक्षी)	151	345	52095	दि0 22.10.13 को इनके द्वारा कार्यालय में रू0 38505. 00 जमा कर दिया गया है।
	श्री प्रभु दयाल यादव, पूर्व अध्यक्ष, बिहार पुलिस मेंस एसोसियसन अध्यक्ष शाखा ' खगड़िया, पिता –श्री रामधारी प्र0 यादव, ग्रा0+पो – लाल दरवाजा, पो0 – मुंगेर थाना–कोतवाली, जिला – मुगेर।	16.3.05 से 30.04. 06 तक (एक आरक्षी)	40	345	13800	इनके द्वारा दि0 1.9.13 को 10200.00 कार्यालय में जमा कर दिया गया है।
					65895	

परिशिष्ट ''च''						
कंडिका 7 से संबंधित						
रू0 467820.00						
	श्री विद्या सागर निषाद, ततकालीन, भूतपूर्व विद्यायक, पिता – स्व0 दरवारी मंडल, ग्राम– उसरी (घरारी) पो+थाना – गोगरी, जिला – खगड़िया,	1.4.02 पूर्व से 10. 0903 एवं 13.11.04 से 30.4.06 तक (एक आरक्षी)	365	345	125925	दि0 19.02.03 को आयोजित जिला सुरक्षा समिति की वैठक में निः शुल्क अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति का आदेश
	श्रीमती मीरा यादव पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद खगड़िया पति संजय यादव, पिता – स्व0 राजनीति यादव, ग्रा+पो – सैदपुर, थाना मानसी, जिला – खगड़िया, हाल / मो0 दक्षिणी हाजीपुर, वार्ड नं0–17 नीयर मोहन यादव गली।	18.3.05 से 21.04.. 06 तक (एक आरक्षी)	40	345	13800	दि0 19.02.03 को आयोजित जिला सुरक्षा समिति की वैठक में निः शुल्क अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति का आदेश
	श्री पशुपति कुमार पारस पूर्व विघायक अलौली	22.9.03 से 30.04. 06 तक (एक आरक्षी)	951	345	328095	दि0 15.9.05 को आयोजित जिला सुरक्षा समिति की वैठक में इन्हें निः शुल्क अंगरक्षक प्रदान करने का आदेश
					467820	